न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 7/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कपूरसिंह पुत्र जालजी, जाति पुरोहित,निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर		1.ईश्वरलाल पुत्र तेजाजी, जाति पुरोहित, निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर 2.तहसीलदार, सायला, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार सायला दिनांक 29.12.2016(विविध मु.सं.1/2016)

उपस्थिति :–
1.श्री नैनसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री अशोककुमार माली,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 17.7.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पाडेन्ट सं.1–ईश्वरसिंह ने दिनांक 9.2.16 को तहसीलदार सायला के न्यायालय में एक दरख्वास्त बाबत् मौजा रेवतडा के खसरा नम्बर 244 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 197व 246 के मध्य कदीमी रास्ता खुलवाने हेतु पेश की जिस तहसीलदार सायला ने ग्राम पंचायत से की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश दिया तथा उक्त रिपोर्ट नहीं आते हुए भी दिनांक 15.7.2016को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् मुकद्मा दर्जकर अपीलांट को तलब करने का नोटिस जारी करने हेतु आदेश दिया तथा पेशी 25.7.2016 को नियत की गई। दिनांक 25.7.16 को ओर्डरसीट में अपीलांट का नोटिस न तो तामील होना माना व न ही अदम तामील होना माना अर्थात् नोटिस के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा तथा पत्रावली सबूत हेतु दिनांक 5.9.2016 को रखी, दिनांक 5.9.16 को तहसीलदार अवकाश पर होने से पत्रावली 4.11.16 को पेशी पर रखी गई, दिनांक 4.11.16को तहसीलदार जनसुनवाई कार्य में मेंगलवा होने से दिनांक 29.12.16 को रखी गई तथा दिनांक 29.12.16को अपीलांट की उपस्थिति बताकर फैसला करवा दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

धारा 251 के प्रार्थनापत्र सुनने का अधिकार 45 दिन तक केवल ग्राम पंचायत को ही है, 45 दिन तक ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही करने पर तहसीलदार को क्षैत्राधिकार प्राप्त होता है मगर ग्राम पंचायत ने बिना कोई प्रार्थनापत्र पेश किय , बिना कोई ग्राम पंचायत में कार्यवाही हुए सीधे ही तहसीलदार सायला द्वारा प्रार्थनापत्र दर्ज कर, अपीलांट को नोटिस दिये बिना ,रेस्पोडेन्ट ईश्वरलाल/किसी गवाह के बयान लिये बिना एक पक्षीय फैसला कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है। मौजा रेवतडा के अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 197 व बिजली विभाग की दीवार जो खसरा नम्बर 246 में बनी हुई है, के बीच कभी खसरा नम्बर 244,245 में आने जाने का रास्ता या पगडंडी नहीं थी तथा न ही कोई कदीमी रास्ता था, बिना किसी आधार के कदीमी रास्ता मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने फैसला दिया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1–ईश्वरलाल स्वयं ने अपीलांट के खसरा नम्बर 197 में से नवीन रास्ता कायम करने हेतु धारा251(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् उपखण्ड अधिकारी सायला के न्यायालय में दिनांक 5.1.2016को प्रार्थनापत्र दिया था जो प्रार्थनापत्र सं. 1/2016 ईश्वरलाल वगैराह बनाम कपूरसिंह हैं ,रेस्पोडेन्ट वकील ने उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 7.6.2017 को नोट–प्रेस में खारिज करवाया, जिससे यह साबित हैं कि अगर कदीमी रास्ता होता तो नया रास्ता कायम करने की दरख्वास्त नही दी जाती। दिनांक 29.12.16 का ज्ञान अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 1.1.2018 को पटवारी हल्का रेवतडा से हुआ जब पटवारी ने अपीलांट के खसरा नम्बर 197 में बनी दीवार तोडने की धमकी दी जिस पर तहसीलदार सायला में पता लगाने पर फैसले का ज्ञान हुआ तब दिनांक 2.1.2018 को नकले मांगी जो मिलने पर अपील पेश की है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार सायला का आदेश दिनांक 29.12.16(विविध मु.सं.1/2016) निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ आदेश दिनांक 29.12.16 आदि की नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स की ओर से जवाब पेश नही किया गया है। अतःअपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. अपीलांट वकील की बहस सुनी गई । अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया

व अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2016 (विविध प्र.सं.1/2016)निरस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील बहस के दिवस अनुपस्थित रहे है।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सायला की धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की पत्रावली सं.1/2016, ईश्वरलाल बनाम कपूरसिंह में ईश्वरलाल ने अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कपूरसिंह द्वारा बंद किये गये रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस हेतु तलब करने का आदेश दिया जाकर तारीख पेशी 25.7.2016 को दी गई। तारीख पेशी 25.7.16 का नोटिस जारी करने पर नोटिस पर सवार की रिपोर्ट अनुसार आसामी कपूरसिंह घर पर हाजिर नही होने व देशावर जाने व मकान बंद होने से अदम तामील प्राप्त हुआ है। इसके बाद अप्रार्थी कपूरसिंह को नोटिस जारी नहीं हुआ है,न ही अप्रार्थी कपूरसिंह को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है। इससे यह भलीभांति सिद्ध होता हैं कि अपीलांट द्वारा मौजा रेवतडा के खसरा नम्बर 197 व 246के मध्य चल रहे रास्ते को खुलवाने हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही में अपीलांट जो कि आराजी खसरा नम्बर 197 का खातेदार है को न तो नोटिस दिया गया और न ही सुना गया, यह स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है।कोई भी आदेश किसी काश्तकार के विरूद्ध पारित करने से पूर्व नोटिस देकर उसे सुना जाना आवश्यक है। बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत् नही कही जा सकती।

राज्य सरकार की अधिसूचना राजस्व (ग्रुप–6)/03/पी.टी./18 दिनांक 6.7.2009 द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम पंचायत को दी गई शक्तिया वापिस ली जाकर तहसीलदार को दी गई है। हस्तगत प्रकरण दिनांक 6.7.2009 के पश्चात् का है,अतःतहसीलदार को धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 में कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकार प्रदान करते है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सायला के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2016 को पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सायला को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर,स्वयं मौका निरीक्षण कर,गवाहो के बयान लेकर नये सिरे से आदेश पारित करें।

S.d. 17/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय आज दिनांक 17.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d. 17/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: